

डिक्री व मुकदमें इबतदाई

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 50/2013

1. प्रीतम कौर पत्नी श्री स्व. मखन सिंह जाति राय सिख साकिन चक 19 पी.बी.एन. अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गुरमीत सिंह पि स्व. मखन सिंह जाति राय सिख साकिन 19 पी.बी.एन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. बलविन्द्र सिंह
4. हरदीप सिंह

वादीगण

बनाम

1. भरावां बाई पत्नी स्व. इन्द्र सिंह जाति राय सिख साकिन
2. गुरबचन सिंह पि. इन्द्र सिंह 19 पी.बी.एन अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
3. बलदेव सिंह
4. ओंकार सिंह
5. गुरबचन कौर
6. सुरजीत कौर
7. नितू रानी
8. जंगीर सिंह पुत्र गोमा सिंह जाति राय सिख साकिन चक 19 पी.बी.एन. अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
9. सतनाम सिंह पुत्र गोमा सिंह जाति राय सिख साकिन चक 19 पी.बी.एन. अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
10. राजेन्द्र कुमार पि. स्व. सरजीत सिंह जाति राय सिख साकिन चक 19 पी.बी.एन
11. सुरेन्द्र कुमार अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
12. रेणू
13. हरबंश सिंह पुत्र गोमा सिंह जाति राय सिख साकिन 19 पी.बी.एन. अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
15. कुलदीप कौर पुत्र मखन सिंह जाति रायसिख निवासी मण्डी पीलीबंगा।



प्रतिवादीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीए

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री अजय सिंह चौहान अधिवक्ता वादीगण, श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता प्रतिवादी 13, श्री सदान हुसैन अधिवक्ता प्रतिवादी 10 ता 12 पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रश्नगत रकबा गैर खातेदारी रकबा है एवं अधिवक्ता वादी द्वारा रकबा के संबंध में खातेदारी होने के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है इस लिए वाद पत्र खाता विभाजन होने के कारण गैर खातेदारी रकबा का खाता विभाजन राजस्थान का तकारी अधिनियम की धारा 53(4) के तहत किया जाना न्याय संगत नहीं है। वाद वादी अस्वीकार किया जाता है। वादीगण का यह वादपत्र खारिज किया जाता है।

लीज----- मुबलिंग----- वाबत----- खर्चा इस मुकदमें के मय सूद
वशरह----- से-----

तारीख वसूलयाबी तक-----

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक

को जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलैक्टर
पीलीबंगा